न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 65/2017

बउनवान

मानसिंह आयु 29 साल पुत्र श्री मदनलाल जाति गुर्जर निवासी खेडलीकेशो तहसील बारां जिला बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां **(रेस्पोंडेंट)**

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 15.03.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 16.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम मानपुरा तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 0.60 है., किस्म–सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर 300/– रूपये शास्ति एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। पत्रावली में अपीलांट का बेदखली नामा शामिल नही किया गया है, एवं अतिक्रमण वाली आराजी की पेमाईश भी नही की गई, और ना ही पेमाईश रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट ने उक्त वर्णित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 16.03.2017 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्[illegible] मूल अभिलेख तलब किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र दिनांक [illegible]24 से अवगत कराया गया कि उक्त वांछित पत्रावली कार्याल[illegible] उपलब्ध नही हो पा रही है। इस पर हमने अभिभाषक अ[illegible] सहमति से[illegible] में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार [illegible]करण नियत किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.26 16:48:15 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना ही केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी माना है। अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी है। संलग्न पटवारी हल्का तिसाया की रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017 अनुसार अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा छोड़ना स्पष्ट है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के साथ अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत पटवारी हल्का तिसाया रिपोर्ट का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में पत्रावली में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 673/17 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2017 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2017 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर
जिला कलेक्टर,बारां
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.26 16:48:15 IST
Reason: SelfAttested